संशोधित

रोजगार संचालनालय मध्यप्रदेश

विन्ध्याचल भवन भोपाल

क्रमांकःरोसं/ युवा संगम/2024/ 2346 /भोपाल दिनांक 30/12/2024

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषयः– युवा संगम- एस.ओ.पी. (जॉब फेयर) अनुसार आयोजन के संबंध में।

संदर्भ:- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग और तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के पत्र क्रमांक/निस/2024/140 / भोपाल दिनांक 05/11/2024 एवं रोजगार संचालनालय के पत्र क्रमांकःरोसं/युवासंगम /2024/ 2275/दिनांक 18/12/2024.

----0----

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा युवा संगम के आयोजन हेतु कैलेण्डर जारी किया गया था। कैलेण्डर के अनुसार युवा संगम का अयोजन किये जाने हेतु संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) संलग्न प्रेषित है। तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(गिरीश शर्मा)
संचालक रोजगार
मध्यप्रदेश

क्रमांकःरोसं/ युवा संगम/2024/ 2347-2348 /भोपाल दिनांक 30/12/2024

प्रतिलिपि,

1. निज सहायक, सचिव तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार रोजगार विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त जिला रोजगार अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक रोजगार
मध्यप्रदेश

रोजगार संचालनालय मध्यप्रदेश
विन्ध्याचल भवन भोपाल

युवा संगम- एस.ओ.पी.

सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा जारी निर्देश दिनांक 05/11/2024 के अनुसार प्रत्येक जिले मे निर्धारित दिवस में युवा संगम का आयोजन किया जाना है। यह सतत प्रयास स्व-रोजगार, निजी रोजगार और प्रशिक्षुता के अवसरों के समन्वय में मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों को एकीकृत और व्यवस्थित करेगा। यह प्रयास रोजगार दिवस, रोजगार मेला और प्रशिक्षुता मेला को एक साथ लाता है जिसे क्रमश: एमएसएमई विभाग, रोजगार और कौशल विकास संचालनालय द्वारा समन्वित किया जा रहा था। जिला कलेक्टर अन्य व्यक्तिगत लाभार्थी-योजनाओं और आउटरीच योजनाओं को इस मंच के साथ एकीकृत करने का निर्णय ले सकते हैं। इस संबंध में निम्नानुसार मानक प्रकिया का पालन किया जाना उचित होगा।

1. जिला स्तर पर-

1.1. जिला रोजगार अधिकारी जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर युवा संगम कार्यक्रम के सम्बन्ध में जारी निर्देश के सम्बन्ध में सूचित कर जिला स्तर पर आवश्यक समन्वय प्राप्त करे।

1.2. कलेक्टर के निर्देशन में आई.टी.आई. के प्राचार्य, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, लीड बैंक अधिकारी एवं जिले के अन्य ऐसे अधिकारी जिनकी इस कार्यक्रम के आयोजन में लगने वाली व्यवस्था में आवश्यकता हो के साथ समन्वय किया जाए।

1.3. युवा संगम का प्रचार प्रसार- युवा संगम कार्यक्रम प्रत्येक युवा के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, अत: इसके प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जावे, जिसमें ग्रामीण अंचल के युवा तक जानकारी पहूँच सके। इस हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जावे, ग्राम पंचायत स्तर पर मुनादी की व्यवस्था की जाये, जनपदों/ नगरीय निकायों को सूचना प्रेषित की जाये तथा शैक्षणिक संस्थाओं में भी सूचना दी जावे। चूँकि जिस दिवस में युवा संगम का आयोजन किया जाना है प्रत्येक जिले के लिए पूर्व निर्धारित है और यह नियमित तरीके से हर महीने दोहराया जाना है, इस संबंध में प्रचार प्रसार स्थायी रूप से करना आसान होगा एवं हर आयोजन के साथ प्रचार प्रसार और मजबूत होंगे।

1.4.स्थानीय, प्रदेश के एवं अन्य राज्यों के नियोजकों से सम्पर्क कर रिक्तियों की जानकारी जिला स्तर पर प्राप्त करेंगे। युवा संगम में जो भी नियोजक उपस्थित होगें। उनके फार्म एक्स-6 पर अधिसूचना प्राप्त की जानी चाहिए जिससे बाद में यह स्थिति निर्मित न हो की साक्षात्कार किसी पद के लिए किया गया एवं ऑफर किसी अन्य पद के लिए किया गया।

इच्छुक युवाओं के संबंध में जानकारी एमपी रोजगार पोर्टल (www.mprojgar.gov.in) से ली जा सकती है और रोजगार, उद्यमिता में अवसरो के संबंध में उपयुक्त जानकारी उन्हें आयोजन की प्रत्याशा में बताई जा सकती है।

1.5.युवा संगम यथा संभव किसी स्कूल या कॉलेज/आईटीआई/पॉलिटेक्नीक के प्रांगण में किया जाये जिसमें आवेदकों के लिए पीने के पानी एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था हो सके ।

1.6.ऑफर लेटर प्राप्त आवेदकों की सूची उसी दिन शाम को रोजगार संचालनालय को मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। कार्यक्रम के 04 फोटोग्राफ संचालनालय को भी प्रेषित करें। कार्यक्रम के उपरान्त एक या दो आवेदकों की सफलता की कहानी संचालनालय को प्रेषित करें।

1.7. इस कार्यक्रम का उपयोग पोस्ट प्लेसमेंट समर्थन (पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट) की समीक्षा करने के लिए भी किया जा सकता है जो उन उम्मीदवारों के लिए आवश्यक हो सकता है जिन्होंने पहले जिले से कंपनियों में नियोजन प्राप्त किया था।

1.8. कार्यक्रम की समाप्ति पर संलग्न प्रपत्र अनुसार जानकारी एक्सेल शीट में संचालनालय को प्रेषित करें। प्रत्येक कार्यक्रम के आयोजन के बाद समग्र लिंकेज के साथ नामवार जानकारी एकत्र की जानी चाहिए। आयोजन में कंपनियों और बैंकों तथा लाभार्थियों को आमंत्रित करने के संबंध में तैयारियों को ट्रैक करने के लिए रोजगार संचालनालय द्वारा जल्द ही एक पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें जिले द्वारा अधिकृत खातों से डेटा दर्ज किया जा सकेगा। वही पोर्टल आयोजन की उपलब्धि के संबंध में जानकारी एकत्र करेगा और बार-बार डेटा प्रविष्ट की आवश्यकता के बिना इस संबंध में भारत सरकार की वेबसाइटों के साथ जानकारी को लिंक करेगा।

1.9.एक समाचार विज्ञप्ति जिला जनसंपर्क विभाग को प्रेषित करें। जिसमें युवा संगम में हुई गतिविधियों की जानकारी यथा उपस्थित नियोजकों की संख्या, ऑफर लेटर प्राप्त आवेदकों की संख्या, अप्रेंटिशशिप के लिये चयनित आवेदकों की संख्या एवं स्वरोजगार हेतु ऋण प्राप्त हितग्राहियों की संख्या, विशेष रूप से उल्लेखित हो। कार्यक्रम के फोटोग्राफ भी प्रकाशन हेतु प्रेषित किये जावे।

स्थानीय स्तर पर यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि समाचार पत्रों में युवा संगम के संबंध में गलत सूचनाओं के आधार पर समाचार का प्रकाशन न हो । प्रकाशन की स्थिति में तत्थ्यात्मक खंडन जनसम्पर्क के माध्यम से जारी किया जाये।

1.10. युवा संगम की प्रचार सामग्री यथा बैनर पोस्टर पम्पलेट इत्यादि पर रोजगार मेला के स्थान पर " युवा संगम " का प्रयोग किया जाये एवं इस कार्यक्रम की उपलब्धी के संबंध में जो भी समाचार प्रकाशित होगें उनमें भी युवा संगम का ही प्रयोग होगा ।

1.11. ऑफर लेटर प्राप्त आवेदकों से समग्र आई.डी. भी प्राप्त किये जाए ।

1.12. नियोजकों से भी कोई ऐसा डाक्यूमेन्ट जिससे संस्थान की पहचान हो सके लिया जाना चाहिये।

2. संचालनालय के स्तर से कार्यवाही-

2.1 रोजगार आयुक्त-

- प्रत्येक जिले के कलेक्टर से युवा संगम आयोजन के संबंध में चर्चा करेगें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके स्तर से इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है।
- युवा संगम के संबंध मे संभागीय आयुक्त को अवगत करायेंगे।

2.2 उपसंचालक / सहायक संचालक-

- आगामी सप्ताह में लगने वाले युवा संगम वाले जिलों मे रोजगार अधिकारियों से चर्चा कर युवा संगम में आने वाले नियोजकों एवं स्व-रोजगार के लिये वितरित किये जाने वाले ऋण प्राप्त करने वाले आवेदकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे।
- युवा संगम समाप्ति पर प्रत्येक जिले से जानकारी प्राप्त करेगें।

युवा संगम के संबंध में जानकारी –प्रपत्र

जिले का नाम	युवा संगम आयोजन दिनांक	उपस्थित नियोजकों की संख्या	प्राप्त रिक्तियों की संख्या	ऑफर लेटर प्राप्त आवेदकों की संख्या	अप्रेंटिशशिप के लिये चयनित, आवेदकों की संख्या	स्वरोजगार हेतु ऋण प्राप्त हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7